UPRB010016542022

विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– पंकज जायसवाल,

एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–645/2022

अंकित निषाद उम्र 21 वर्ष पुत्र गेंदालाल निवासी निहालीपुर, मजरे कल्यानी, थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट),रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी

अ०सं०-0603/2021
धारा-2/3 उ०प्र० गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986
थाना-ऊँचाहार, जिला रायबरेली।

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित निषाद की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत अपराध संख्या 0603/2021, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्तगण अंकित निषाद, रोहित निषाद एवं रंजीत निषाद का एक गैंग है, जिसका लीडर अंकित निषाद है और अन्य उसके सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग अपने सदस्यों के आर्थिक और भौतिक लाभ हेतु भा०दं०सं० के अध्याय 16 एवं 22 में वर्णित अपराध कारित करते हैं।

प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। पुलिस रंजिशन गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी गैंग के प्रार्थी को गैंग लीडर होना पुलिस बता रही है। कथित प्राथमिकी में प्रार्थी को गैंग का लीडर बताने वाले वादी मुकदमा ने मात्र पांच असाबित मामलों में बगैर किसी पुख्ता साक्ष्य के एवं बिना किसी भूमिका के प्रार्थी को गैंग का लीडर बता कर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। वह किसी भी गैंग का लीडर नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर दर्ज अ०सं० 348/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं० ,अ०सं० 349/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं०, अ०सं० 292/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं० एवं अ०सं० 351/2021, अन्तर्गत धारा 403,411 थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली में एफ०आई०आर० अज्ञात के रूप में दर्ज की गयी है। उक्त मामलों में

उसकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। कथित गैंगचार्ट में जबरन दिखाये गये अपराधों में उसकी संलिप्तता न होने के कारण वह जमानत पर रिहा हो जायेगा, इससे बचने के लिए पुलिस द्वारा दूषित प्रक्रिया अपनाते हुए फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, क्योंकि प्रार्थी की दहशत या आतंक कही नहीं है। जमानत के स्तर पर उक्त अपराधों में प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता । प्रार्थी किसी गैंग का लीडर नहीं है और गैंगचार्ट में दिये गयेअपराधों में उसकी गैंगस्टर की छवि प्रकट नहीं होती है। उक्त सभी मामले पुलिस ने फर्जी व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर बेकसूर प्रार्थी पर अधिरोपित कर झूंठा फंसाया जाना साबित है। सभी माले प्रथम दृष्टया पुष्टिदायक साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं होते है। कथित गैंगचार्ट में दिखाये गये सह–अभियुक्त प्रार्थी के साथी कभी नहीं रहे और न ही उनसे प्रार्थी का कभी कोई वास्ता सरोकार ही रहा है। उसकी न तो दबंग छवि है, न ही कुख्यात छवि है। गलत, रंजिशन व भ्रामक छवि दिखायी गयी है क्योंकि पुलिस द्वारा दिखायी जा रही सारी कार्यवाही झूंठी, दूषित व बेबुनियाद है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरक्त अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है । वह अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है और इस आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसको फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का समाज में कोई भय व आतंक व्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई गैंग नहीं है और न ही उसका सदस्य है। उसने आज तक आर्थिक व भौतिक लाभ लेने की दृष्टि से कोई अपराध कारित नहीं किया है । आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गैंग चार्ट में दर्शित मामले में उसकी जमानत स्वीकृत हो चुकी है और जमानत प्रार्थना स्वीकृत किये जाने की याचना की गयी है।

लोक अभियोजक द्वारा जमानत का इस आधार पर विरोध किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ गिरोह बनाकर अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु भा०दं०सं० के अध्याय 16 एवं 22 में वर्णित अपराध कारित किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट), रायबरेली के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट में 03 अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमें होना दर्शित किया गया है, जिसमें से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध तीन मामले (1) अ०सं० 292/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं० थाना ऊचाहार, रायबरेली (2) अ०सं० 348/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं० थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली (3) अ०सं० 349/2021, अन्तर्गत धारा 392,411 भा०दं०सं० थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली दर्शित किये गये हैं।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में तीन मामले लूट एवं उससे सम्बन्धित मोबाईलों की बरामदगी के सम्बन्ध में लम्बित दिखाये गये है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त गैंगचार्ट में गैंग लीडर के रूप में दर्ज है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक के तर्कों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए धारा 19(4)(B) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्रकाश में यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा अन्य अपराध कारित करने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित निषाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(पंकज जायसवाल)
UPID 6371
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
05-04-2022

टाइपकर्ता-सुषमा श्रीवास्तव

Digitally signed by Pankaj Jaiswal
Date: 2022.04.05 16:26:23 IST
Reason: Document Order
Location: District and Sessions Court
Raebareli